का॰ ज्ञा॰ सं॰ **12021**/1/94-रा॰भा॰ (ख-2), दिनांक 22.7.1994

विषय:— हिन्दी में मूल रूप से काम करना।

यह देखा गया है कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों इत्यादि में पत्रों के मसौदे इत्यादि प्राय: मूल रूप में अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं और फिर आवश्यकतानुसार उनका अनुवाद हिन्दी में कराया जाता है। इसके कारण कभी-कभी पत्र के हिन्दी रूप में उसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता और बाध्य होकर पत्र का आशय समझने के लिए अंग्रेजी रूप का सहारा लेना पड़ता है।

2. उपर्युक्त स्थिति के निराकरण हेतु यह निर्णय लिया गया है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए गए कार्यालयों में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी अनिवार्यत: और हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी यथासंभव राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषी रूप से जारी किए जाने वाले दस्तावेजों और राजभाषा नियम,1976 के अंतर्गत केवल हिन्दी में जारी किए जाने वाले पत्रों का प्रारूपण मूल रूप से हिन्दी में करें और आवश्यकतानुसार उनका अनुवाद अंग्रेजी में कराया जाए।

3. हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त विषयों से संबंधित टिप्पण भी वे मूल रूप से हिन्दी में करेंगे।